



कार्यालय कलेक्टर, जिला-बालोद (छ.ग.)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक /1768 / वि.लि.-1 / स्था. / 2024

बालोद, दिनांक 06. मार्च 2024

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के द्वारा राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुये जिला बालोद में पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप संबंधित अधिकारियों द्वारा जिला बालोद में उपस्थित होने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भा.प्र.से./रा.प्र.से. के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद नाम	सौंपे गये कार्य का विवरण	
1	श्री संजय कुमार कन्नौजे (भा0प्र0से0) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद	1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सम्पूर्ण कार्य
			प्रभारी अधिकारी
		1	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
		2	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
		3	केडा विभाग।
		4	महिला एवं बाल विकास विभाग।
		5	कृषि विभाग।
		6	पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विभाग।
		7	मत्स्य विभाग।
		8	उद्यानिकी विभाग।
		9	रेशम विभाग
		10	ग्रामोद्योग विभाग।
		11	अंत्यावसायी विभाग।
		12	उद्योग एवं व्यापार केन्द्र।
13	कौशल विकास।		
14	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य काय		
2	श्री चंद्रकांत कौशिक (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बालोद	1	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (ADM), जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी
		2	उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन/सामान्य निर्वाचन
		3	भाडा नियंत्रण अधिकारी बालोद
		4	वित्त/स्थापना शाखा।
		5	जिला नाजरात शाखा।
		6	भू-अभिलेख शाखा
		7	लायसेंस शाखा,
		8	सांख्यिकी लिपिक (SW)
		9	शासकीय आवास आबंटन
		10	भू-अर्जन शाखा।

संज्ञा

11	छ0ग0के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण)
12	भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के प्राप्त होने वाले प्रकरणों (बालोद / गुरुर / गुण्डरदेही / डौण्डीलोहारा / डौण्डी अनुविभाग)
13	लोक सभा / राज्य सभा / विधानसभा / स्थगन / ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में समक्ष अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण।
14	डिप्टी कलेक्टर (परि.) / नायब तहसीलदार (परि.) के प्रशिक्षण कार्यक्रम का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा
15	सूचना के अधिकार से संबंधित अपील
16	विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छ.ग. विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य
17	राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण / पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत / प्रकरणों का निराकरण-समीक्षा कर यथोशीघ्र प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना।
18	जिला विभागीय जाँच अधिकारी
19	अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी।
20	यातायात / जिला सड़क सुरक्षा / परिवहन / जिला जेल से संबंधित नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी।
21	आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा एवं नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना।
22	कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य।
23	रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं एवं सभी अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण।
24	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र / प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।
25	शासन स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के संबंध में तैयारी (डाटा संकलन, समीक्षा)
26	राज्योत्सव, मेला के प्रभारी अधिकारी
	प्रभारी / नोडल अधिकारी
1	कृषि उपज मण्डी।
2	जल संसाधन विभाग।
3	खाद्य विभाग।
4	मार्कफेड विभाग।
5	आबकारी विभाग।
6	सहकारिता विभाग।
7	नागरिक आपूर्ति निगम / वेयर हाऊस।
8	जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक।
9	नगरीय निकाय।
10	ग्राम तथा नगर निवेश विभाग।
11	आदिवासी विकास विभाग।
12	परिवहन विभाग।
13	हाऊसिंग बोर्ड।
14	स्कूल शिक्षा विभाग / उच्च शिक्षा तकनीकी / राजीव गांधी शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा।

संख्या

		15	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।
3	श्री अजय किशोर लकड़ा (रा.प्र.से.) संयुक्त कलेक्टर	1	राजस्व शाखा
		2	जिला नजूल अधिकारी बालोद ।
		3	विधि विधायी/अभियोजन शाखा/लोक आयोग ।
		4	वरिष्ठ लिपिक शाखा एवं विविध शाखा (जैसे आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा)
		5	भू-बंटन
		6	(क) 7500वर्गफूट तक शासकीय भूमि का बंटन/अतिक्रमि भूमि का व्यवस्थापन (ख) आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करना। (फ्री होल्ड करना) (ग) परिवर्तित भूमि के विरुद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली
		7	राहत और पुनर्वास शाखा
		8	आडिट/निरीक्षण शाखा
		9	अभिलेख कोष हिन्दी/अंग्रेजी
		10	मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल शाखा)
		11	20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन
		12	पुरातत्व/धर्म एवं धर्मस्व/संस्कृति/अल्पसंख्यक कल्याण जिला वक्फ बोर्ड
		13	जनगणना
		14	अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर Quntifiable Data के संबंध में
		15	सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य)
		16	अल्प बचत शाखा, स्वेच्छानुदान शाखा
		17	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।
		18	मुख्यमंत्री घोषणा ।
		19	मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान
4	श्री दरबारी राम ठाकुर (रा.प्र.से.) संयुक्त कलेक्टर	1	स्टेशनरी और प्रपत्र
		2	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
		3	आयुष
		4	रेडक्रास
		5	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सी. एस.सी., चॉईस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आई.टी. से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पदेन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी, विडियो कांफेंस ।
		6	प्रस्तुतकार शाखा
		7	सोलिशियम फण्ड
		8	राजस्व लेखा/राजस्व लेखापाल (आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, ब्रिक्स)
		9	अग्निवीर सैनिकों की भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, रैली का आयोजन
		10	प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाण-पत्र सत्यापन अधिकारी
		11	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य

			कार्य।
5	सुश्री प्राची ठाकुर (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर	1	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा।
		2	जिला जनसूचना अधिकारी
		3	आवक-जावक शाखा
		4	शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु सहायक नोडल अधिकारी
		5	जनमन का सहायक नोडल अधिकारी
		6	शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल/जनदर्शन/कलेक्टर जनचौपाल/TL/पी.जी.एन./पी.जी.,पोर्टल/मुख्यमंत्री सचिवालय/अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।
			प्रभारी/नोडल अधिकारी
		7	जिला खेल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी खेल।
		8	समाज कल्याण विभाग।
		9	एन. आई.सी।
		10	ई.डिस्ट्रीक्ट
		11	लोक निर्माण विभाग।
		12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग।
		13	राष्ट्रीय राजमार्ग
		14	ए.डी.बी।
		15	खनिज विभाग।
		16	श्रम विभाग।
		17	विद्युत विभाग।
		18	अग्रणी बैंक।
		19	शक्कर कारखाना।
		20	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
		21	कोवड-19।
		22	आयुर्वेद चिकित्सा विभाग।
		23	पर्यटन शाखा पर्यटन मण्डल से संबंधित कार्य
24	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।		
6	श्रीमती शीतल बंसल (रा.प्र.से.) संयुक्त कलेक्टर	1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी बालोद का सम्पूर्ण प्रभार
		2	अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी
		3	मण्डी बालोद
		4	जिला सत्कार अधिकारी
		5	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
7	श्रीमती पूजा बंसल (रा.प्र.से.) संयुक्त कलेक्टर	1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी गुरुर का सम्पूर्ण प्रभार
		2	अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी
		3	उप मंडी गुरुर
		4	खनिज विभाग एवं जिला खनिज न्यास

सुश्री

		5	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
8	श्री शिवनाथ बघेल (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर	1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी डौण्डीलोहारा का सम्पूर्ण प्रभार
		2	अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी
		3	उप मंडी डौण्डीलोहारा
		4	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
9	श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर	1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी डौण्डी का सम्पूर्ण प्रभार
		2	अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी
		3	उप मण्डी डौण्डी।
		4	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
10	श्री सुरेश कुमार साहू (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर	1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी गुण्डरदेही का सम्पूर्ण प्रभार
		2	अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी
		3	कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

1/ शासन को भेजे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदन (ऑनलाईन/ऑफलाईन) निज सहायक कलेक्टर शाखा से संचालन किया जावेगा।


2/ छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-एक के नियम 14 के तहत अपर कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी (वित्त/भू-अभिलेख/निर्वाचन) को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (कार्यपालिक को छोड़कर) के वेतन वृद्धि/यात्रा देयक/चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक/त्यौहार अग्रिम/आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिवस तक की अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा कार्यालय व्यय/निर्वाचन व्यय व अनुरक्षण मद अन्तर्गत 20,000/- (अक्षरी दस हजार रूपये) तक स्वीकृति का अधिकार होंगे तथा इससे अधिक की राशि के लिए कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार तहसील/अनुविभाग स्तर के टेलीफोन एवं विद्युत देयकों का भुगतान स्वीकृति नियमानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा किया जावेगा।

3/ अन्य विभाग जिनके लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं है उन विभागों की नस्तियों अपर कलेक्टर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी।

जिला कार्यालय बालोद में पदस्थ अधिकारियों के लिंक अधिकारी निम्नानुसार होंगे :-


1	श्री चंद्रकांत कौशिक अपर कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद	श्री अजय किशोर लकड़ा संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद
2	श्री अजय किशोर लकड़ा संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद	श्री रामकुमार दरबारी संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद
3	श्री दरबारी राम ठाकुर संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद	सुश्री प्राची ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद
4	सुश्री प्राची ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद	श्री दरबारी राम ठाकुर संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 (चन्द्रकांत कौशिक)
 अपर कलेक्टर,
 जिला-बालोद (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर,
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक जिला बालोद,
5. अपर कलेक्टर, बालोद,
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद,
7. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (सामान्य/स्थानीय निर्वाचन शाखा) जिला बालोद,
8. सर्व प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय बालोद,
9. नजूल अधिकारी, जिला कार्यालय बालोद,
10. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय बालोद,
11. सर्व कार्यालय प्रमुखजिला बालोद,
12. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद/गुरुर/गुण्डरदेही/डौण्डीलोरा/डौण्डी,
13. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बालोद, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला बालोद,
15. सर्व तहसीलदार, जिला बालोद,
16. सचिव, बार रूम जिला न्यायालय परिसर जिला बालोद,
17. अधीक्षक, जिला कार्यालय बालोद,
18. निज सहायक, कलेक्टर जिला बालोद,
19. सर्व संबंधित शाखा लिपिक जिला कार्यालय बालोद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर,
जिला बालोद (छ.ग.)